मेईजी संविधान का निर्माण

राजनीतिक दलों की गतिविधियों से जापान का जीवन उत्तरोत्तर अशान्त होता जा रहा था। सरकार के लिए लोकमत पर ध्यान रखते हुए कुछ सांविधानिक सुधार करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। अतएव, अक्टूबर, 1881 में एक घोषणा प्रकाशित कर यह वचन दिया गया कि 1890 ई० तक जापान के लिए संविधान बन जाएगा और इसके अनुसार एक राष्ट्रीय संसद का गठन किया जाएगा। इसके पश्चात संविधान निर्माण की तैयारी होने लगी। 3 मार्च, 1882 को ईतो हीरोबूमी को पश्चिमी देशों की राज्य पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए यूरोप भेजा गया। ईतो ने बर्लिन में जाकर प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं से परामर्श किया; फिर वह आस्ट्रिया की राजधानी वियना आया। वहाँ उसे यह सलाह प्राप्त हुई कि ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए, जिसमें मंत्रिपरिषद संसद की जगह सम्राट् के प्रति उत्तरदायी हो और सम्राट् को संसद के किसी फैसले को रद्द करने का पूरा अधिकार हो। वियना से ईतो पेरिस, लन्दन और रूस होते हुए जापान वापस लौटा। 1884 ई० में जापान लौटने पर संविधान बनाने का काम सौंपे जाने पर ईतो ने विदेश यात्रा के समय चुने तीन सुयोग्य सहकारियों इनीचे फोवाशी, ईतो मियोजी तथा कानेको केन्तारो को अपनी सहायता के लिए नियुक्त किया। ईतो की यह मण्डली सम्राट् के परिवार से सम्बद्ध कर दी गई, ताकि इसे उदारवादियों के राजनीतिक दबाव से दूर रखा जा सके। संविधान के प्रारूप तैयार होने पर प्रिवी कौंसिल ने उसे पुष्ट किया। सारा कार्य समाप्त होने पर 11 फरवरी, 1889 को नए संविधान की घोषणा की गई। इसे 'मेईजी संविधान' कहते हैं।

मेईजी संविधान की विशेषताएँ—मेईजी संविधान सामन्तवाद और पूँजीवाद का अनोखा मेल था। संविधान का स्वरूप उसके अन्तर्गत सम्राट् की स्थिति पर दृष्टि डालने से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है। यह संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित नहीं था, वरन् 'सम्राट् की ओर से उपहार' था और इसलिए उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल सम्राट् को था। इसके लिए जापानी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक थी। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को दिया गया था, परन्तु मतभेद होने पर उनके निबटारे का अधिकार प्रिवी कौंसिल को था। शाही महल साधारण नियमों और कानूनों से परे था। कानून बनाकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। वह परिषद के नियन्त्रण से बाहर था। इसमें प्रिवी कौंसिल तथा शाही परिवार की परिषद की ही सलाह से कोई संशोधन किया जा सकता था। सम्राट् के उत्तराधिकार का प्रश्न भी संविधान नहीं, बल्कि शाही महल का कानून तय करता था। इसके अतिरिक्त सम्राट् को कई तरह के सांविधानिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। स्थल और जल की सेनाओं के सेनापति और उनके स्टाफ सीधे सम्राट् द्वारा नियुक्त होते थे। वे एकदम सम्राट् के अधीन थे। संक्षेप में, इस संविधान द्वारा लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया था।

संविधान द्वारा दो वैधानिक परामर्शदात्री समितियों का संगठन किया गया था। एक का नाम मंत्रिपरिषद और दूसरी का प्रिवी कौंसिल था। इन समितियों की स्थापना संविधान के लागू होने के पूर्व ही कर दी गई थी और संविधान की चौथी धारा में इसका उल्लेख किया गया था। मंत्रिपरिषद शासन के कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्य करने के लिए निर्मित हुई। यह डाइट (जापानी संसद) के प्रति उत्तरदायी न रहकर सम्राट् के प्रति उत्तरदायी थी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता था। प्रिवी कौंसिल का निर्माण स्वयं सम्राट् करता था और इसका काम विभिन्न समस्याओं पर सम्राट् को परामर्श देना था। जापान के धनीमानी प्रभावशाली व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य भी इसके सदस्य हो सकते थे। सदस्यों और मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट् स्वयं करता था और सम्राट् के प्रसादपर्यन्त ही वे अपने पदों पर बने रह सकते थे।

संविधान के तीसरे अध्याय में संसद (गिकाई) या डाइट की रचना का उल्लेख था। इस सभा में दो सदन कायम किए गए—उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन अमीर-उमरा का था। इसमें जापान के कुलीनवर्ग के लोग, राजकुल के व्यक्ति, प्रिन्स, काउण्ट, विस्काउण्ट, मार्क्विस और बैरन लॉर्ड, सम्राट् द्वारा

Scanned with CamScanner

मनोनीत व्यक्ति तथा सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोग सदस्य होते थे। निचले सदन में पंद्रह येन या इसके अधिक कर देनेवाले व्यक्तियों के—जिनकी संख्या 1890 ई० में 4,50,000, अर्थात कुल जनसंख्या का एक प्रतिशत भाग थी—निर्वाचित प्रतिनिधि थे। सब कानूनों की वैधता के लिए इस संसद की स्वीकृति आवश्यक थी।

डाइट का अधिवेशन हर वर्ष तीन महीने का होता था। इसके सदस्यों को बहस का अधिकार था। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। वे संसद में विचार के लिए विधेयक पेश कर सकते थे तथा सरकार से प्रश्न कर सकते थे। यद्यपि उनकी स्वीकृति के बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन उनके वित्तीय अधिकार बहुत सीमित थे। शाही घराने के खर्च और उसके कर्मचारियों के वेतन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। यदि वे बजट पास न करें तो सरकार पिछले वर्ष के बजट को लागू रख सकती थी। सम्राट् को हर कानून के विषय में निषेधाधिकार प्राप्त था। साथ ही, वह किसी भी समय संसद के अधिवेशन को समाप्त और प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता था। जिन दिनों संसद का अधिवेशन नहीं चलता था, उन दिनों वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था।

मेईजी संविधान की एक दूसरी विशेषता यह मानी जाती है कि इसने जनता को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए। प्रत्येक नागरिक को भाषण करने, एकत्र होने, लिखने, संस्था बनाने और अपनी पसन्द का धर्म मानने की पूरी आजादी थी। लोग अपनी योग्यता के अनुसार सभी सरकारी पदों पर पहुँचने का समान अधिकार रखते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह बेरोकटोक जा सकते थे और अपना घरबार बदल सकते थे। उनके घरों में कोई मनमाने ढंग से घुसकर तलाशी नहीं कर सकता था। उन्हें केवल कानूनी रीति से गिरफ्तार किया जा सकता था और नियमानुसार नियुक्त न्यायालय में मुकदमा चलाए बिना दण्ड नहीं दिया जा सकता था। उन्हें बुर्जुआ-पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा और अनुल्लंघ्य सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त था। वे सम्पति रख और बेच सकते थे। नागरिकों को सरकार को आवेदनपत्र देने का भी अधिकार दिया गया था।

इस प्रकार, मेईजी संविधान राजा के दैवी अधिकार, सामन्तवाद तथा पश्चिमी लोकतन्त्र के सिद्धान्तों तथा पुरानी रूढ़ियों और नई मान्यताओं का एक अपूर्व सम्मिश्रण था। इसके अध्ययन के सम्बन्ध में हमें दो-चार बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए—मताधिकार किसे मिला, पहले के सामन्तों का इस विधान के अन्तर्गत क्या स्थान रहा, जनसाधारण के प्रतिनिधियों को क्या अधिकार मिला, देश की राजनीति पर किस वर्ग का प्रभाव कायम हुआ तथा जापान में कितने लोगों को सम्पत्ति दी गई थी। इन्हीं बातों के पृष्ठाधार में मेईजी संविधान के स्वरूप को समझा जा सकता है।

न्याय और कानूनी व्यवस्था—पश्चिमी राष्ट्रों ने जापान से सन्धि-सम्बन्ध होने पर अपने प्रजाजनों को जापानी कानूनों के अन्तर्गत रखने पर आपत्ति की और राज्यक्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त कर लिया, जैसा उन्होंने चीन के साथ किया था। पुनःस्थापना के बाद बनी सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखने के उद्देश्य से जल्दी ही यह महसूस कर लिया था कि राज्यक्षेत्रातीत अधिकारों की समाप्ति इस पर निर्भर है कि जापान कितनी तेजी से ऐसे कानूनी सिद्धान्त तैयार कर लेता है जो यूरोपीयों और अमरीकियों को स्वीकार्य हों। इसी के अनुसार 1873 ई० में एक दण्ड संहिता तथा फौजदारी कानून की रचना आरम्भ की गई। यह कार्य 1880 ई० में समाप्त हुआ और 1882 ई० में उसे स्वीकार कर लिया गया। इन कानूनों पर फ्रांसीसी कानूनों का गहरा प्रभाव था। एक दीवानी संहिता बनाने का काम 1870 ई० में आरम्भ हुआ और 1890 ई० में पूरा होने पर उसे स्वीकार कर लिया गया। इसी वर्ष राज्यक्षेत्रातीत अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। दीवानी संहिता का आधार भी फ्रांसीसी कानून ही था, यद्यपि इसमें जर्मनी और कुछ अन्य देशों के कानूनों की भी कुछ बातें ली गई थीं। दीवानी मामलों के लिए कानून 1891 ई० से लागू था। जर्मन मूल से तैयार व्यापार संहिता भी दीवानी-संहिता के समान ही लागू की गई।

जापान के न्याय विभाग का संगठन भी नए सिरे से किया गया। छोटे और बड़े न्यायालयों का निर्माण करते हुए फ्रांस की न्याय पद्धति को आदर्श माना गया। 1889 ई० तक न्यायालय से सम्बद्ध नई व्यवस्था की रूपरेखा तैयार हो गई और 1894 ई० में सम्पूर्ण देश में इस पद्धति के अनुसार न्याय का प्रशासन चलने लगा।

Scanned with CamScanner